रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 300] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 3, 2007/आषाढ़ 12, 1929
No. 300] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 3, 2007/ASADHA 12, 1929

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2007

सा.का.नि. 460(अ).—संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति, उक्त धारा की उप-धारा (3) के खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, संसद सदस्य (कार्यालय-व्यय भत्ता) नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए उक्त धारा की उप-धारा (4) के अधीन यथा अपेक्षित, राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित और पुष्ट किए गए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसद सदस्य (कार्यालय-व्यय भत्ता) (संशोधन) नियम, 2007 है।

   (2) ये 12 दिसम्बर, 2006 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. संसद सदस्य (कार्यालय-व्यय भत्ता) नियम, 1988 के नियम 3 के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

   "(ख) दो हजार रुपए पत्रों की फ्रैंकिंग संबंधी व्यय की पूर्ति के लिए होगा और लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय चौदह हजार रुपए तक का संदाय ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर सकेंगे, जिसे किसी संसद सदस्य द्वारा सचिवीय सहायता प्राप्त करने के लिए लगाया गया हो और ऐसा एक व्यक्ति संसद सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित किया गया कम्प्यूटर साक्षर होगा।"

[सं. 22/2/एल.एस.एस./एम.एस.ए./2006]

पी. के. मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम सा.का.नि. 1093(अ), तारीख 25 नवम्बर, 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 511(अ), तारीख 30 अगस्त, 1997, सा.का.नि. 538(अ), तारीख 31 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 455(अ), तारीख 13 मई, 2000, सा.का.नि. 805(अ), तारीख 25 अक्बूबर, 2001 और सा.का.नि. 747(अ), तारीख 12 दिसम्बर, 2006 द्वारा संशोधित किए गए थे।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

संसद सदस्य वेतन और भत्ते संबंधी संयुक्त समिति ने यह सिफारिश की थी कि संसद सदस्य को दिल्ली में या अपने निर्वाचन क्षेत्र में 14,000 रुपए प्रति माह की कुल धनीय सीमा के भीतर सचिवीय सहायता प्राप्त करने के लिए किसी भी संख्या में व्यक्तियों को लगाने के लिए अनुज्ञात किया जाए, जिसमें से कम से कम एक कम्प्यूटर साक्षर व्यक्ति होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति की कम्प्यूटर साक्षरता के बारे में संसद

सदस्य द्वारा प्रमाणन पर्याप्त होगा। अनेक संसद सदस्यों ने यह कथन किया है कि उन्होंने पहले ही तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन सचिवीय सहायता के लिए दिल्ली में एक से अधिक व्यक्तियों को लगाया हुआ है। अत:, उपरोक्त उपांतरण 12-12-2006 से प्रभावी होने चाहिए।

2. इस विषय की सरकार द्वारा परीक्षा की गई है और यह विनिश्चित किया गया है कि चूंकि इसमें कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं है और प्रस्तावित संशोधन अधिक नमनीयता का उपबंध करने की प्रकृति के हैं। अत: इन संशोधनों को इस संबंध में पूर्वत्तर अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख, 12 दिसम्बर, 2006 से प्रभावी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, संशोधनकारी नियमों को जारी करने और उन्हें भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी संसद सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2007

G.S.R. 460(E).— In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954), the Joint Committee constituted under sub-section (1) of the said section, after consultation with the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Members of Parliament (Office Expense Allowance) Rules, 1988, the same having been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People, as required under sub-section (4) of the said section, namely : —

1. (1) These rules may be called the Members of Parliament (Office Expense Allowance) Amendment Rules, 2007.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 12th December, 2006 .

2. In the Members of Parliament (Office Expense Allowance) Rules, 1988, in rule 3, for clause (b), the following shall be substituted, namely :—

"(b) rupees two thousand should be for meeting expenses on franking of letters, and Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat may pay up to fourteen thousand rupees to the person(s) as may be engaged by a Member for obtaining secretarial assistance and one such person shall be a computer literate duly certified by the Member."

[No. 22/2/LSS/MSA/2007]

P. K. MISRA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published *vide* G.S.R. 1093(E) dated the 25th November, 1988 and subsequently amended by notification numbers G.S. R. 511 (E) dated the 30th August, 1997, G.S.R. 538(E) dated the 31st August, 1998, G.S.R. 455(E) dated the 13th May, 2000, G.S.R. 805(E) dated the 25th October, 2001and G.S.R. 747(E) dated the 12th December, 2006.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Joint Committee on Salaries and Allowances of Members of Parliament recommended that a member may be allowed to engage any number of persons either in Delhi or in his constituency for obtaining secretarial assistance within the total monetary ceiling of Rs. 14,000 per month and out of them at least one person should be computer literate and the certification by the Member about the computer literacy of such person would suffice. Several Members of Parliament have stated that they are already engaging more than one person in Delhi for secretarial assistance under the then prevalent Rules and hence the above-proposed modifications should be effective from 12-12-2006.

The matter have been examined by the Government and it has been decided that since there is no additional financial implication and the proposed amendments are more in the nature of providing flexibility, these amendments could be made effective from 12th December, 2006, the date of issue of earlier Notification in this regard. Further, nobody is likely to be adversely affected by the issue of amending rules and giving the same retrospective effect.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.